

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा करने के लिए

लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने हेतु

रुचि अभिव्यक्ति

25 अक्टूबर, 2019

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटो रोड),

नई दिल्ली -110002

क्रम सूची			
क्रम सं.	खंड	विवरण	पृष्ठ सं.
1	खंड-I	डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए सूचना	3
2	खंड-II	भावी लेखा परीक्षा एजेंसियों के लिए निर्देश	5
3	खंड-III	डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर)	
4	परिशिष्ट-I	आवेदन जमा करने का प्रारूप	14
5	परिशिष्ट-II	सीए / सीएस / पेशेवर लागत लेखाकार / इंजीनियरों की सूची	18
6	परिशिष्ट-III	खण्ड के अनुपालन द्वारा घोषणा खण्ड	19
7	परिशिष्ट-IV	घोषणा की स्वतंत्रता	20
8	परिशिष्ट-V	काली सूची में डालने की स्वतंत्रता	21
9	परिशिष्ट-VI	पूरी जानकारी होने की घोषणा	22
10	परिशिष्ट-VII	लेखा परीक्षा एजेंसियों को छांटने/उनके मूल्यांकन के लिए मानदंड	23

खंड-I

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए सूचना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "भादूविप्रा" के रूप में संदर्भित), महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002 पात्र कंपनियों / सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) / भागीदारी फर्मों / एंसी पूर्ण स्वामित्व वाली फर्मों जो भारतीय सनदी

लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की लेखापरीक्षा फर्म (इसके बाद "लेखा-परीक्षा एजेंसी" या "फर्म" के रूप में संदर्भित) के लिए पंजीकृत हों, से "दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (पता करने योग्य प्रणाली) विनियम, 2017 (इसके बाद 'इंटरकनेक्शन रेगुलेशन, 2017' के रूप में उल्लिखित), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (पता करने योग्य प्रणाली) विनियम, 2017 के मानक (इसके बाद "सेवा गुणवत्ता विनियम 2017" के रूप में उल्लिखित) और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (आठवां) (एट्रिसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 (इसके बाद "टैरिफ आदेश" के रूप में उल्लिखित) दिनांक 03 मार्च 2017 सहित डिजिटल एट्रिसेबल प्रणालियों के लिए विनियामक रूपरेखा के अनुसार डिजिटल एट्रिसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है।

लेखा परीक्षकों के पैनल में शामिल होने के लिए लेखा परीक्षा एजेंसी को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा: -

- क) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत समय-समय पर यथा संशोधित या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक सीमित देयता भागीदारी वाली या एक पंजीकृत साझेदारी फर्म या एक पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म जो लेखा परीक्षा फर्म के रूप में आईसीएआई के साथ पंजीकृत हो, के रूप में एक कंपनी होगी;
- ख) इससे तत्काल दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 50 लाख रुपये का औसतन वार्षिक कारोबार होगा;
- ग) उसके पास (i) डिजिटल एट्रिसेबल सिस्टम (डीएस) [सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) / कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएस) (तकनीकी और / या वितरकों की सदस्यता)] की लेखा परीक्षा में अपने स्वयं का या अपने किसी भी साझेदार / कर्मचारी के माध्यम से कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो; या (ii) दूरसंचार, बिजली, गैस आदि जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर टूल्स के उपयोग सहित बिलिंग और मीटरिंग और / या भुगतान और पूर्वदत्त भुगतान प्रणाली की लेखा परीक्षा में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो;
- घ) वे सनद लेखाकार (सीए) / कंपनी सचिव (सीएस) / लेखा लागत (सीओए) / स्नातक अभियांत्रिक के रूप में या तत्संबंधी तीन पूर्णकालिक पेशेवर होंगे। तीन पेशेवरों में से कम से कम एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) / कंपनी सचिव (सीएस) / लागत लेखाकार (सीओए) होना चाहिए। इस तरह के पेशेवर (रों) को लेखा परीक्षा एजेंसी के साथ आवेदन करने की तिथि को कम से कम निरंतर छह महीने का काम करने वाला पूर्णकालिक भागीदार या उसका कर्मचारी होना चाहिए;
- ङ) एंसी कंपनी / एलएलपी / फर्म या किसी भी पेशेवर को राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय के किसी भी विभाग द्वारा अयोग्य घोषित या काली सूची में नहीं डाला गया हो; इसके अलावा, कंपनी /

एलएलपी / फर्म या किसी भी पेशेवर को किसी भी समय आपराधिक कदाचार का दोषी न ठहराया गया हो;

- च) आवेदक को प्रसारण और वितरण उद्योग की अच्छी समझ होनी चाहिए और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप को समझने में दक्ष होना चाहिए, ग्राहक और प्रणाली जीवनचक्र में तथा एसएमएस और सीएस में ग्राहक व्योरों के एकीकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए;
- छ) आवेदक को सेवा प्रदाता प्रसारण से स्वतंत्र होना चाहिए और सेवा प्रदाता की डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली में प्रयुक्त किसी उपकरण जैसे सीएस/ एसएमएस / मिडलवेयर / ईपीजी या हार्डवेयर / इलेक्ट्रॉनिक में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के डिजाइन, निर्माण, संचालन या रखरखाव में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या हित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को पिछले एक साल में आवेदक फर्म, जो प्रसारण और वितरण गतिविधि में शामिल हो, में किसी निदेशक / साझेदार/ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और लेखा परीक्षा कर्मी के रूप में न रहा हो या कंपनी में वर्तमान में इस तरह के पद पर न हो । लेखापरीक्षा एजेंसी प्रस्ताव के साथ इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगी।

3. दूसरे दौर के पैलन में शामिल होने के लिए सभी तरह से परिपूर्ण पूरा प्रस्ताव परिशिष्ट - I में दिए गए प्रारूप में मुहरबंद लिफाफे में श्री प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रसारण और केबल सेवा), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूप्रा), महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली, 110002 में 29 नवंबर, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर/+++सपना शर्मा

संयुक्त सलाहकार (प्रसारण और केबल सेवा)

खंड -II

भावी लेखापरीक्षा एजेंसियों के लिए निदेश

1. लेखा परीक्षकों के पैलन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, लेखा परीक्षा एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया और नियम और शर्तें इस दस्तावेज में निहित हैं, जिसके माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

खंड-I - प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली सूचना

खंड-II - भावी लेखा परीक्षा एजेंसियों के लिए निदेश

खंड-III - विचारार्थ विषय

परिशिष्ट-I - लेखा परीक्षा एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

परिशिष्ट-II - संगत अनुभव और व्यौरों के साथ सीए/सीएस/लागत लेखाकार की सूची पेशेवरों

परिशिष्ट-III - खंडशः अनुपालन संबंधी घोषणा

परिशिष्ट-IV - स्वतंत्रता संबंधी घोषणा

परिशिष्ट-V - काली सूची में शामिल करने संबंधी घोषणा

परिशिष्ट-VI - पूर्ण जानकारी होने संबंधी घोषणा

परिशिष्ट-VII - लेखा परीक्षा एजेंसियों को छांटने/उनके मूल्यांकन का मानदंड

2. लेखा परीक्षा एजेंसियों द्वारा पैलन में शामिल होने के प्रस्ताव परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
3. पैलन में शामिल होने के प्रस्ताव के साथ, लेखा परीक्षा एजेंसी भादूविप्रा को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें परिशिष्ट-III के अनुसार रुचि की अभिव्यक्ति की सभी शर्तों / खंडों की स्वीकृति के रूप में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित खंडशः अनुपालन की पुष्टि की जाएगी।
4. लेखा परीक्षा एजेंसी भादूविप्रा के साथ पत्राचार के लिए अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर, फैंक्स नंबर और ई-मेल आईडी सहित नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर प्रदान करेगी। सफल मूल्यांकन पर लेखा परीक्षा एजेंसी सेवा प्रदाताओं के संदर्भ और संपर्क के लिए अद्यतन किए गए नाम, पते और अन्य विवरणों को रखेगी।
5. परिशिष्ट- I में निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव को परिशिष्ट- II में यथाविहित रूप में सीएसआई, सीएसआई, लागत लेखाकार या पेशेवर इंजीनियरों की सूची के साथ संलग्न होना चाहिए।
6. लेखा परीक्षा एजेंसी सभी आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट- I में दिए गए प्रारूप में सभी तरह से पूर्ण अपना प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे में 29 नवंबर, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत करेगी। प्रतिभूति जमा के रूप में 20,0001/- की प्रतिदेय रकम किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई

दिल्ली" के नाम से प्रस्तुत करेगी। अपूर्ण प्रस्ताव और/अथवा प्रतिभूति राशि के बिना प्रस्तुत प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, भादूविप्रा, पात्रता की जांच के उद्देश्य से कमियाँ/दुविधा वाले प्रस्तावों को दूर करने के आशय से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हितधारकों के अनुरोध पर भादूविप्रा पूर्व-बोली स्पष्टीकरण बैठक आयोजित कर सकता है।

7. ऑडिट पैनल के गठन के 60 दिनों के भीतर असफल आवेदकों को प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। पैनल के लिए चयनित लेखापरीक्षा एजेंसी में से प्रत्येक को 30 माह (ढाई वर्ष) के लिए वैध 2 लाख रुपए (2,00,000/- मात्र) की एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही सफल आवेदकों को प्रतिभूति राशि वापस की जाएगी। भादूविप्रा द्वारा प्रतिभूति की राशि पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
8. भादूविप्रा के पास बिना कोई कारण बताए पैनल में शामिल होने के लिए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए नोटिस को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

खंड-III

**डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए विचारार्थ
विषय (टीओआर)**

1. पृष्ठभूमि:

1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद इसे 'भादूविप्रा' के नाम से जाना जाएगा) एक वैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत (बाद में भादूविप्रा अधिनियम 1997 के रूप में उल्लिखित), अन्य बातों के साथ साथ "दूरसंचार सेवाओं" को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में अधिसूचना सं. का.आ. 44 (अ) और का.आ 45 (अ) दिनांक 09.01.2004 के अधीन प्रकाशित इसकी अधिसूचना सं. 39 के द्वारा प्रसारण और केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें भादूविप्रा को उक्त क्षेत्र को विनियमित करने के लिए क्षेत्राधिकार दिया गया है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के तहत भादूविप्रा को सौंपा गया मुख्य कार्य प्रसारण सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता को विनियमित करना है।

1.2 प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा ने अतीत में कई नियम, शुल्क आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 3 मार्च 2017 को, भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, इंटरकनेक्शन विनियम, 2017, सेवा विनियमों की गुणवत्ता, 2017 और शुल्क आदेश, 2017 शामिल हैं। ढांचे को दिनांक 3 जुलाई 2018 को प्रेस विज्ञप्ति सं. 7112018 के द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसमें 3 जुलाई 2018 से उपर्युक्त रूपरेखा में निर्धारित सभी समय-सीमाओं को प्रभावी किया गया। इन नियमों, शुल्क आदेश और प्रेस सूचना का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

1.3 देश में टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में लगभग 1143 सक्रिय एमएसओ, 5 निजी डीटीएच ऑपरेटर, 328 प्रदत्त टीवी प्रसारणकर्ता, एक परिचालन एचआईटीएस ऑपरेटर और कुछ आईपीटीवी ऑपरेटर शामिल हैं। सेवा प्रदाताओं का आकार और नेटवर्क काफी विविध है क्योंकि उनमें से कुछ के पास बहुत बड़ा ग्राहक आधार है, जबकि कई मध्यम और छोटे वितरक हैं।

1.4 इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के विनियम 10 (7), 15 (1) और 15 (2) में लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान हैं। विनियमन 10 (7) के तहत किसी प्रसारक द्वारा किसी वितरक को सिग्नल प्रदान करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा की जाती है कि क्या वितरक की एड्रसेबल प्रणाली विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एड्रसेबल प्रणाली की जरूरतों को पूरा करती है। विनियमन 15 (1) के तहत लेखा परीक्षा वितरक पर निर्भर है कि वह

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अपनी प्रणाली की लेखा परीक्षा कराये। विनियम 15 (2) में उपबंध है कि कोई प्रसारक लेखा परीक्षा उस स्थिति में करा सकता है जो किसी वितरक के लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है या उसकी यह राय है कि किसी वितरक द्वारा प्रयुक्त एड्रेसेबल प्रणाली इंटरकनेक्शन विनियमन 2017में विनिर्दिष्ट जरूरतों को पूरा नहीं करती है।

1.5 इंटरकनेक्शन विनियम में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण इस तरह के लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध कर सकता है। स्थापित परिपाटी के भाग के रूप में लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने से संबंधित निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए भादूविप्रा ने 22.12.2017 को "डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल" पर एक परामर्श पत्र मंगवाया, जिसमें संबंधित मामलों के संबंध में हितधारकों से लिखित टिप्पणियां मंगाई गईं। इसके बाद, नई दिल्ली में भादूविप्रा के कार्यालय में 12 अप्रैल, 2018 को इस मुद्दे पर एक खुले मंच की चर्चा (ओएचडी) बुलाई गई थी, जिसमें कई संगठनों, कंपनियों /संगठनों/फर्मों, सेवा प्रदाताओं और व्यक्तियों सहित कई हितधारकों ने भाग लिया था।

1.6 उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया में कुछ हित-धारकों से एक सुझाव यह भी प्राप्त हुआ कि डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के लिए लेखा परीक्षक नियमावली बनाई जानी चाहिए। भादूविप्रा ने हितधारकों की एक समिति का गठन किया जिसमें भारतीय दूरसंचार फाउंडेशन (आई.बी.एफ.- प्रसारकों का एक संगठन), समाचार प्रसारण परिसंघ (एनबीए), अखिल भारतीय डिजिटल कैबल परिसंघ (एआईडीसीएफ), डीटीएच परिसंघ और बीपीसीएल द्वारा सदस्यों को नामित किया गया। उपर्युक्त समिति ने कई दौर की बातचीत के बाद कुछ टिप्पणियों और लंबित मामलों के साथ नवंबर 2018 में लेखा परीक्षा नियमावली का एक मसौदा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात विभिन्न हित-धारकों के साथ कई बैठकें हुईं तथा एक व्यापक लेखा परीक्षा निमावली का मसौदा तैयार किया गया। भादूविप्रा ने लेखा परीक्षा के संबंध 29 मार्च 2019 को 'द टेलीकम्यूनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम' नामक एक परामर्श पत्र जारी किया। यह लेखा-परीक्षा नियमावली भादूविप्रा की वेबसाइट : [https://main.trai.gov.in/sites/default/files!CP Audit Manual 29032019.pdf](https://main.trai.gov.in/sites/default/files!CP%20Audit%20Manual%2029032019.pdf) पर उपलब्ध है। भादूविप्रा ने इस नियमावली के संबंध में अलग से टिप्पणियां आमंत्रित की थी और हित धारकों से मिली टिप्पणियों पर विश्लेषण के पश्चात दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह लेखा परीक्षा नियमावली विधायकों के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित है यह नियमावली किसी अन्य विनियमावली के किसी प्रावधान को अधिक्रमित नहीं करती है।

1.7 टिप्पणियों के लिए लेखा परीक्षा नियमावली का मसौदा तैयार होने और उसका प्रकाशन होने के पश्चात प्राधिकरण ने पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। भादूविप्रा ने पहले दौर के पैनल बनाने के लिए 29 मार्च 2019 को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के पैनल बनाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति संबंधी आमंत्रण जारी किया था। प्रस्ताव मिलने पर उनकी जांच करने के बाद प्राधिकरण ने कुछ लेखा परीक्षा एजेंसियों का पहले ही पैनल बना दिया है (जिसकी सूची भादूविप्रा की वेबसाइट पर देखी जा सकती है)। यह आमंत्रण उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

2. कार्य क्षेत्र:

2.1 कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है:

क) यह जांच करने के लिए कि टेलीविजन चैनल के वितरकों द्वारा इंटर- कनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, वितरकों के एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा परीक्षा।

ख) ग्राहक प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की लेखा परीक्षा और एड्रेसेबल प्रणाली की अन्य संबंधित प्रणालियों के संबंध में वितरकों द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराए जा रहे मासिक शुल्क प्रतिवेदन इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के विनियम सं. 15 के अनुसार पूरे, सटीक और सही हैं अथवा नहीं, वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा।

ग) इंटरमनेक्शन विनियम, 2017 के विनियम 10(7), 15(1) और 15 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा करना।

भादूविप्रा व्यापक लेखा परीक्षा नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। लेखा परीक्षा नियमावली हितधारकों और लेखा परीक्षा एजेंसियों के लिए एक दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित है। यदि इंटरकनेक्शन विनियमों के कसी प्रावधान और लेखा परीक्षा के प्रावधानों के बीच किसी प्रकार असंगतता होती है तो विनियम/टैरिफ आदेश के प्रावधान लागू होंगे।

3. पैनल का गठन और उसकी वैधता

3.1 भादूविप्रा परिशिष्ट-VII में दिए गए छंटाई/ मूल्यांकन के आधार पर लेखा परीक्षकों के पैनल का चयन करेगा।

3.2 पैनल की अवधि संबंधित फर्म के पैनल बनाने की तारीख से 2 वर्षों तक के लिए वैध होगी।

3.3 प्राधिकरण को लेखा परीक्षा एजेंसी के अनुरोध किए जाने पर और पैनल के दौरान लेखा परीक्षा निष्पादन की जांच/मूल्यांकन के आधार पर किसी पैनल की समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित होगा

3.4 भादूविप्रा को किसी कारण बताए बिना किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या उसे निरस्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा भादूविप्रा को किसी भी समय पैनल की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने का अधिकार होगा।

4. पात्रता मानदंडः

फर्म को पैनल में शामिल होने की पात्रता के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है:

- क) आवेदक को समय समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत कोई एल.एल.पी अथवा कोई पंजीकृत साझेदारी फर्म या लेखा परीक्षा फर्म के रूप में आईसीएआई में पंजीकृत पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म के रूप में दर्ज होना चाहिए (जिसे इसके पश्चात सामूहिक रूप से फर्म के रूप में उल्लिखित किया जाएगा)।
- ख) आवेदक कंपनी में कम से कम तीनपूर्णकालिकपेशेवर होने चाहिए, जिनमें सेचार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)/ कंपनी सचिव(सीएस)/ लागत लेखाकार (सीओए) /स्नातक इंजीनियर होने चाहिए। तीनों पेशेवरों में से कम से कम एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)/ कंपनी सचिव (सीएस)/ लागत लेखाकार (सीओए) होना चाहिए। ऐसी पेशेवर (रों) को पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तिथि को किसी लेखा परीक्षा एजेंसी में कम से कम 6 माह कासाझेदार या पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में लगातार काम करने का अनुभव होना चाहिए । (चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीए)/ इंजीनियर वाले लेखापरीक्षकों की सूची परिशिष्ट-1। में विहित प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए।
- ग) आवेदक का आवेदन करने के तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये का होना चाहिए।लेखा परीक्षा एजेंसी इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजी जिसमें पूर्ववर्ती दो वर्षों केलेखा परीक्षा की गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और अन्य वित्तीय विवरण, यदि कोई हो,साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।

- घ) आवेदक के पास या तो अपने स्वयं के या अपने किसी साझेदार / कर्मचारी के माध्यम से (i) कम से कम एक वर्ष का डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएस) [सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) / वितरकों का कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (कैस)] (तकनीकी और / या सदस्यता) की लेखा परीक्षा का अनुभव होना चाहिए; या (ii) दूरसंचार, विद्युत, गैस आदि जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर प्रणालियों का उपयोग करके बिलिंग और मीटरिंग और / या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेखा परीक्षा एजेंसी संगत अनुभव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।
- ड) आवेदक को प्रसारण और वितरण उद्योग से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और सिस्टम के जीवन चक्र के ज्ञान और एसएमएस और कैस में ग्राहक के विवरण के एकीकरण को समझने में कुशल होना चाहिए। लेखा परीक्षा एजेंसी इस आशय की एक घोषणा परिशिष्ट-VI में दिए गए मसौदे के अनुसार प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करेगी।
- च) आवेदक को प्रसारण सेवा प्रदाताओं से स्वतंत्र होना चाहिए और किसी सेवा प्रदाता के डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली में प्रयुक्त कैस / एसएमएस / मिडलवेयर / ईपीजी या हार्डवेयर / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सॉफ्टवेयर के डिजाइन, निर्माण, संचालन या रखरखाव में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या हित नहीं होना चाहिए। किसी सेवा प्रदाता की डिजिटल प्रणाली। इसके अलावा, न तो आवेदक फर्म का कोई निदेशक / साझेदार / प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और न ही कोई भी लेखा परीक्षा कर्मी पिछले एक साल में या वर्तमान में कंपनी में ऐसे पद पर न हो जो प्रसारण और वितरण गतिविधियों के व्यवसाय में शामिल हैं। लेखा परीक्षा एजेंसी इस आशय का एक प्रस्ताव परिशिष्ट-IV के प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तुत करेगी।
- छ) आवेदक लेखा परीक्षा एजेंसी या इसका कोई भी पेशेवर को राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय के किसी भी विभाग द्वारा अयोग्य घोषित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। इसके अलावा, लेखा परीक्षा एजेंसी या कोई भी पेशेवर को किसी भी समय आपराधिक कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया हो। लेखा परीक्षा एजेंसी इस आशय की एक घोषणा परिशिष्ट-V के अनुसार प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करेगी।

5. प्रतिवेदन देने की आवश्यकता:

5.1 आवेदक फर्म भादूविप्रा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, तिमाही के दौरान की गई लेखा परीक्षा विवरण के संबंध में उस तिमाही की समाप्ति के 21 दिनों के भीतर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

5.2 यदि फर्म लेखा परीक्षा के दौरान वितरक की किसी प्रणाली में कोई बड़ी विसंगति देखती है तो उसे तुरंत भादू विप्रा को सूचित करेगी।

6. गोपनीयता:

6.1 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और सेवा प्रदाताओं के लिखित अनुमोदन के बिना ऐसी जानकारी साझा नहीं की जाएगी।

6.2 लेखा परीक्षा एजेंसी सेवा प्रदाता/भादू विप्रा की संतुष्टि के लिए सेवा प्रदाता के साथ आवश्यक गोपनीयता समझौता करेगी।

7. अन्य नियम और शर्तें:

7.1 लेखा परीक्षा एजेंसी दस्तावेज़ और इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 में दिए गए कार्य क्षेत्र का पालन करेगी।

7.2 लेखा परीक्षा एजेंसी और उसके कर्मचारियों / लेखा परीक्षा कर्मियों को पेशेवर ईमानदारी और तकनीकी क्षमता के उच्चतम स्तर के साथ कार्यों को पूरा करना होगा। उन्हें सभी दबावों और प्रलोभनों, विशेष रूप से वित्तीय, जो उनके निर्णय या किसी भी मूल्यांकन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे लेखा परीक्षा के परिणामों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या समूहों से मुक्त होना चाहिए।

7.13 भादू विप्रा स्पष्टीकरण लेने या लेखा परीक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा एजेंसी की उनके अपने व्यय पर बैठक बुला सकता है अथवा प्रस्तुतीकरण की मांग कर सकता है।

7.14 लेखा परीक्षा एजेंसी इस समझौते के तहत सेवा प्रदाता के प्रति लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवा से उत्पन्न किसी मामले में भादू विप्रा के खिलाफ लाए गए सभी दावों, मांगों, विवादों या किसी प्रकार के फैसले से भादू विप्रा को कोई नुकसान नहीं होने देगी और उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। भादू विप्रा इसको हुई किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति यदि कोई होती है, के लिए लेखा परीक्षा एजेंसी से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। भादू विप्रा अपने विवेक से इस खंड के अंतर्गत लेखा परीक्षा की वाध्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के लेखा एजेंसी को पैनल से हटा सकेगा।

7.15 इस दस्तावेज़ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद या स्पष्टीकरण के संबंध में लेखा परीक्षा पर भादू विप्रा का निर्णय अंतिम होगा।

7.16 लेखा परीक्षा एजेंसी समयसमय पर प्रवृत्त भारत के नियमों द्वारा शासित होगी और उनका - अनुपालन करेगी

7.17 रुचि की अभिव्यक्ति के साथ जमा करने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे या उनका सम्यक रूप से अंग्रेजी में उचित प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी में अनुवाद के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

परिशिष्ट 1

आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

1. एक लेखा परीक्षा फॉर्म का नाम
2. पंजीकृत पता.....
3. क्या आप एक कंपनी या साझेदार कंपनी या एलएलपी या लेखा परीक्षा फर्म के रूप में आईसीएआई के साथ पंजीकृत पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म हो:.....

नोट:-

- (i) कृपया सूचित करें कि क्या आप एक कंपनी या साझेदारी या एलएलपी या लेखा परीक्षा फर्म के रूप में आईसीएआई के साथ पंजीकृत फर्म हो

- (ii) कृपया पंजीकरण अथवा संस्थापन प्रलेख या साझेदारी विलेख की एक प्रमाणित प्रति (आवेदक फर्म की कार्य के वर्षों की संख्या का साक्ष्य मौजूद हो) संलग्न करें, जिसके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर हों और मुहर लगी हो।
4. कृपया बताएं कि आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) / कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) / लागतलेखाकार (सीओए) / स्नातक इंजीनियर में से कम से कम तीन पूर्णकालिक पेशेवर हैं। तीन पेशेवरों में से कम से कम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) / कंपनी सचिव (सीएस) / लागत लेखाकार (सीओए) होना चाहिए। पैनल में शामिल होने के लिए इस तरह के पेशेवर(रों) को निरंतर और पूर्णकालिक भागीदार या कर्मचारी होना चाहिए जो आवेदन की तारीख को कम से कम छह महीने लेखा परीक्षा एजेंसी के साथ काम कर रहे हों। कृपया परिशिष्ट-2 के तहत निर्धारित प्रारूप में फर्म द्वारा नियोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) / कंपनी सचिवालय (सीएस) / लागत लेखाकार (सीओए) / इंजीनियर के विवरण सहित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रदान करें।

नोट:

- (i) कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते हैं।
- (ii) रुचि अभिव्यक्ति पत्र के परिशिष्ट- II के अनुसार आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर आवेदक फर्म द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगे होने के साथ पूरी जानकारी प्रदान करें।
- (iii) आवेदक फर्म द्वारा कम से कम तीन सीए / सीएस / सीओए/स्नातक इंजीनियर, (उनमें से कम से कम एक सीए/एस/सीओए होना चाहिए), की हस्ताक्षरित और मुहर लगी डिग्री प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रदान की जानी चाहिए।
5. कृपया बताएं कि क्या आवेदक कीन्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में 50 लाख रुपए थी (लेखा परीक्षित लेखा विवरण) संलग्न करें। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण या आयकर रिटर्न सहित इस संबंध में दस्तावेजी सबूत संलग्न करें।

नोट:

- (i) कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते हैं।
- (ii) कृपया वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक कारोबार का विवरण प्रदान करें।

- (iii) कृपया इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण या आयकर रिटर्न, आवेदक फर्म द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाई गई हो, (वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भी प्रदान की जा सकती है)।
6. कृपया नीचे दिए गए किसी एक के संबंध में आवेदक का वर्षों में अनुभव (लेखा परीक्षा एजेंसी के पास स्वयं या उसके किसी साझेदार / कर्मचारी का अनुभव होना चाहिए) बताएं:
- वितरक की डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएस) की लेखा परीक्षा [एसएमएस / सीएस] (तकनीकी और / या सदस्यता) ।

या

- टेलीकॉम, पावर, गैस आदि जैसे क्षेत्रों में बिलिंग और मीटरिंग और / या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग प्रणाली का लेखा-जोखा जिसमें में सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग शामिल है, इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।

नोट:

- (i) स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आवेदक फर्म के पास स्वयं अपना या अपने किसी साझेदार / कर्मचारी का वितरक की डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा परीक्षा (डी एस / एस एम एस / सी एस) (तकनीकी और / या सदस्यता) के संबंध में कम से कम एक वर्ष की लेखा परीक्षा का अनुभव है; अथवा (ii) दूरसंचार, विद्युत, गैस इत्यादि क्षेत्रों में बिलिंग और मीटरिंग तथा/ या सॉफ्टवेयर उपकरणों के प्रयोग करके भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है।
- (ii) क) वितरकों के डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएस) [एसएमएस / सीएस] वितरकों के (तकनीकी और / या सदस्यता) की लेखा परीक्षा का अनुभव वर्षों की संख्या में, आवेदक फर्म द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगा प्रमाण स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

या

- ख) दूरसंचार, विद्युत, गैस इत्यादि क्षेत्रों में बिलिंग और मीटरिंग तथा/ या सॉफ्टवेयर उपकरणों के प्रयोग करके भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करने का अनुभव वर्षों की संख्या में स्पष्ट रूप से प्रदान करें
(यह ज्ञात रहे कि यदि आपके पास ऊपर क और ख में उल्लिखित दोनों में अनुभव है तो वह जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं)
- (iii) संगत अनुभव के संबंध में उस एजेंसी द्वारा जारी किए गए कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करें जिसके लिए लेखा परीक्षा की गई (लेखा परीक्षा करने वाली एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाई गई प्रति होनी चाहिए) या उस प्रसारक या एजेंसी

द्वारा प्रमाण पत्र, जिसके लिए लेखा परीक्षा की गई, उनके हस्ताक्षरित और मुहर लगे पत्रशीर्ष पर, जिसमें संबंधित अनुभव इंगित हो।

7. कृपया बताएं कि क्या आवेदक फर्म द्वारा कोई डीएएस [एसएमएस / सीएएस] (तकनीकी और / या सदस्यता) की लेखा परीक्षा की गई या नहीं। यदि हाँ, तो बताएं कि कृपया कितनी संख्या में लेखा परीक्षा की गई और उसका दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें।

नोट: (i) स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आवेदक फर्म द्वारा कोई डीएएस [एसएमएस / सीएएस] (तकनीकी और / या सदस्यता) की लेखा परीक्षा की गई।

- (iii) यदि हाँ, तो संगत अनुभव के बारे में उस एजेंसी द्वारा जारी किए गए कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करें, जिसके लिए लेखा परीक्षा की गई। (प्रतिलिपि लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए)। या प्रसारक / वितरक से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रसारक / वितरक के पत्रशीर्ष पर हस्ताक्षरित होना चाहिए और उस पर मुहर होनी चाहिए जिसमें संगत अनुभव उल्लेख किया गया हो।

8. कृपया बताएं कि आवेदक फर्म द्वारा कितनी संख्या में पूर्णकालिक पेशेवर नियोजित किए गए हैं जिनके पास डीएएस [एसएमएस / सीएएस] (तकनीकी और / या सदस्यता) की लेखा परीक्षा का अनुभव है। इस संबंध में दस्तावेजी सबूत संलग्न करें।

नोट: -

- (i) स्पष्ट रूप से पत्रशीर्ष पर डीएएस [एसएमएस / सीएएस] में अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या बताएं, आवेदक फर्म द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए हों और मुहर लगाई गई हो।

- (ii) कृपया अपने पत्रशीर्ष पर डीएएस [एसएमएस / सीएएस] की लेखा परीक्षा में नियोजित पेशेवरों के नाम का उल्लेख करें (एस) के नाम का उल्लेख करते हुए प्रसारक / डीपीओ से हस्ताक्षरित और मुद्रांकित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. कृपया बताएं कि क्या आवेदक फर्म प्रसारण सेवा प्रदाताओं से स्वतंत्र है। इस संबंध में परिशिष्ट IV के अनुसार आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर आवेदक फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र संलग्न करें।

नोट: -

- (i) परिशिष्ट IV के अनुसार घोषणा पत्र प्रदान करें
(ii) आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर दी गई घोषणा पर हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए
(iii) विनिर्दिष्ट भाषा में किसी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. कृपया बताएं कि क्या आवेदक फर्म को राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय के किसी भी विभाग द्वारा अयोग्य घोषित या ब्लैकलिस्ट किया गया है। परिशिष्ट V के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न करें।

नोट: -

- (i) परिशिष्ट V के अनुसार घोषणापत्र उपलब्ध कराएं।
- (ii) आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर लगाई जानी चाहिए।
- (iii) विनिर्दिष्ट भाषामें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

11. स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आवेदक प्रसारण और वितरण उद्योग से अच्छी तरह वाकिफ है और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और सिस्टम के जीवन चक्र के ज्ञान और एसएमएस और कैस में ग्राहक के विवरण के एकीकरण को समझने में कुशल है। परिशिष्ट VI के अनुसार आवेदक फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।

नोट: -

(i) परिशिष्ट VI के अनुसार घोषणा पत्र उपलब्ध करें।

(ii) आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए ।

(iii) निर्दिष्ट भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. कृपया आवेदक फर्म की अधिकृत सभी शर्तों / खंडों के अनुसार आवेदक फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए खंड के अनुपालन द्वारा खंड की पुष्टि करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान करें।

नोट: -

(i) परिशिष्ट III के अनुसार घोषणा पत्र उपलब्ध करें।

(ii) आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर दी गई घोषणा पर हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए।

(iii) विनिर्दिष्ट भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. क्या आवेदक के दिल्ली (एनसीआर क्षेत्र सहित), मुंबई (ग्रेटर मुंबई, वसई, कल्याण सहित), चेन्नई, कोलकाता और अन्य शहरों में शाखा कार्यालय हैं:

नोट: -

(i) उन शहरों का नाम दें, जिनमें आवेदक के शाखा कार्यालय हैं।

14. कृपया भादूविप्राऔर सेवा प्रदाताओं द्वारा पत्राचार के लिए फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करें:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम और पदनाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट -II

सीए / सीएस / लागत लेखाकार पेशेवर / इंजीनियरों की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	भ.नि. सं./ यूएएन	कुल वेतन	टिप्पणी

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम और पदनाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट - III

घोषणा पत्र

सर्वश्री, प्रमाणित करते हैं कि हम 25 अक्टूबर 2019 को भादूविप्रा द्वारा जारी डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल बनाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति की सभी शर्तों / खंडों को स्वीकार करते हैं और रुचि की इस अभिव्यक्ति के खंडशः अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

(आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर हस्ताक्षरित और मुहर सहित)

घोषणा पत्र

सर्वश्रीप्रसारण सेवा प्रदाताओं करने से स्वतंत्र है और इनका सेवा प्रदाता के डिजिटल एट्रेसेबल प्रणाली में प्रयोग होने वाले सीएस / एसएमएस / मिडलवेयर / ईपीजी या हार्डवेयर / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सॉफ्टवेयर के डिजाइन, निर्माण, संचालन या रखरखाव में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या हित नहीं है। इसके अलावा, पिछले एक वर्ष में ये न तो कंपनी के किसी भी निदेशक / साझेदार / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद पर रहे हैं और न ही वर्तमान में किसी लेखापरीक्षा कर्मी के रूप में प्रसारण और वितरण गतिविधियों के व्यवसाय में शामिल किसी कंपनी में उस तरह के पद धारण किए हुए हैं।

(आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर हस्ताक्षरित और मुहर सहित)

घोषणा पत्र

सर्वश्री या कोई भी हमारा पेशेवर राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी भी वैधानिक निकाय या किसी भी निकाय के किसी भी विभाग द्वारा अयोग्य घोषित या काली सूचीवद्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा, सर्वश्री या हमारे किसी भी पेशेवर को किसी भी समय आपराधिक कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है।

(आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर हस्ताक्षरित और मुहर सहित)

परिशिष्ट - VI

घोषणा पत्र

सर्वश्री..... प्रसारण और वितरण उद्योग से अच्छी तरह से वाकिफ है और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और प्रणाली जीवन चक्र ज्ञान और एसएमएस और सीएस में ग्राहक के विवरणों के एकीकरण को समझने में अच्छी तरह सक्षम है।

(आवेदक फर्म के पत्रशीर्ष पर हस्ताक्षरित और मुहर सहित)

मूल्यांकन मानदंड

मानदंडों की निम्नांकित सूची प्रस्तावकों को पैनल में शामिल होने के लिए प्रस्तावों को छांटने के लिए परीक्षण और मूल्यांकन का आधार बनेगी।

क्रम सं.	मानदंड	कार्य करने की सीमा	अंक	अधिकतम अंक
1.	प्रचालन के वर्ष संख्या में	दो वर्ष तक	10	20
		2 से 4 वर्ष तक	15	
		4 वर्ष से अधिक	20	
2	इससे तत्काल पूर्ववर्ती दो वर्षों (2017-18 और 2018-19) में से प्रत्येक वर्ष में वार्षिक कारोबार	50 लाख - 1 करोड़	10	20
		1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच	15	
		2 करोड़ से ऊपर	20	
3.	वितरक के एसएमएस/सीएस(तकनीकी और/या सदस्यता) की लेखा परीक्षा में अनुभव	1 वर्ष या 5 लेखा परीक्षा	15	30
		2 वर्ष या 6-10 लेखा परीक्षा	20	

		3 वर्ष या 11-20 लेखा परीक्षा	25	
		3 वर्ष से अधिक या 20 लेखा परीक्षा से अधिक	30	
	या			
	दूरसंचार, विद्युत, गैस इत्यादि जैसे क्षेत्रों में साफ्टवेयर उपकरणों का प्रयोग करके बिलिंग, भुगता और प्रीपेड भुगतान प्रणाली की लेखा परीक्षा का अनुभव	3 वर्षों तक	8	30
		4 वर्ष	14	
		5 वर्ष	20	
		6 या 7 वर्ष	25	
		7 वर्ष से अधिक	30	
4.	पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या जिन्हें एसएमएस/सीएस (तकनीकी और/या सदस्यता) लेखा-परीक्षा में अनुभव है।	1-2	12	20
		3-4	16	
		5 और उससे अधिक	20	
5	अवसंरचना और सुविधाएं	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) में शाखा कार्यालय	प्रत्येक शहर के लिए 2	10
		मुम्बई (नवी मुंबई, वसई, कल्याण सहित), चेन्नई, कोलकाता और किसी श्रेणी 1 औप श्रेणी 2 के शहर में शाखा		

		कार्यालय		
कुल अंक				100

50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र फर्मों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। भादूविप्रा द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर प्रस्तुति देने के लिए पात्र फर्मों को आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसी प्रस्तुतियों का उद्देश्य फर्मों को अपने तकनीकी प्रस्ताव, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली और प्रस्तावों में अन्य प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना होगा। भादूविप्रा, पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से कमी / अस्पष्टता को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया में भादूविप्रा बीईसीआईएल से जानकारी मांग सकता है। इस संबंध में भादूविप्रा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और असफल आवेदकों के साथ आगे कोई चर्चा/बातचीत नहीं की जाएगी।

.....

भादूविप्रा ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त मानदंडों की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखा है कि विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है।

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।